चन्द्रप्रकाश बनाम सरकार

97/2022

क्र स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	17/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी कर जवाब मंगावे। पत्रावली दि० 31/5/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	31/5/24.	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० T.R. का जवाब पेश करने हेतु स्मरण पत्र जारी कर पत्रावली दि० 19/7/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। [illegible] अर्थात पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] बाद [illegible] तत्काल दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 97/2022
निर्णय दिनांक : 19.07.2024

चन्द्रप्रकाश अगरोया पुत्र बंशीधर अगरोया जाति सोनी निवासी 320. गोपाल जी का रास्ता जौहरी बाजार जयपुर हाल निवासी मकान नं. डी–46/बी, सुभाष मार्ग, सी स्कीम, जयपुर राज पिन कोड़ 302001

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगाने जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार हल्का नृसिंहपुरा भू.अभि.नि. भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 70 के खसरा नं. 24 रकबा 3.34 है०, खसरा नं. 24/335 रकबा 0.01 है०, खसरा नं. 32 रकबा 0.70 है०, खसरा नं. 33 रकबा 1.73 है0, खसरा नं. 34 रकबा 0.01 है०, खसरा नं. 35 रकबा 0.96 है०, खसरा न. 36 रकबा 0.61 है० कुल किता 7 कुल रकबा 7.36 है0 में हिस्सा 1/8 है। जिसका पुराना खाता संख्या 61 तथा नया खाता संख्या 70 है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि सीताराम यादव पुत्र मोहरी लाल यादव निवासी हीरापुरा जयपुर से दिनांक 02.04.1998 को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद की थी। जिसका पंजीयन दिनांक 06.04.1998 को उप पंजीयक सांगानेर के यहां हुआ था। जिसमें खरीद के बाद विकय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण में प्रार्थी के नाम, वल्दियत, जाति, पता सही रूप से दर्ज की थी। जो सम्वत् 2064 से 2067 तक की जमाबन्दी में सही दर्ज थी अर्थात उस समय तक प्रार्थी का नाम, जाति, पता आदि चन्द्रप्रकाश अगरोया पुत्र बंशीधर अगरोया जाति सोनी निवासी 320, गोपाल जी का रास्ता जौहरी बाजार जयपुर " दर्ज थे जो सही रूप से दर्ज थे। के बदल कर अगरोया " के स्थान पर अग्रोया कर दिया गया तथा जाति सोनी के स्थान पर हरियाणा ब्राह्मण अंकित कर दी गई जो अब अंतिम चोसाला संवत 2074 से 2077 तक गलत दर्ज चली आ रही है। जिसके चलते प्रार्थी की जाति हरियाणा ब्राह्मण दर्ज कर दी गई जो कि गलत है। उक्त कार्यवाही राजस्व विभाग के कर्मचारी व भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना प्रार्थी को सूचना दिये, अपनी मनमर्जी से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की जमाबन्दी में जाति व गौत्र गलत दर्ज कर दिया है। जो कानून के विपरीत जाकर कियां गया है जो गलत है तथा तथा गैर कानूनी कार्य है जो स्पष्टतया राजस्व कर्मचारियो की लिपिकीय त्रुटि की परिभाषा में आता है। अभी गत दिनांक 17.01.2022 को प्रार्थी ने जब तहसील से जमाबन्दी निकलवाई तब उसके अवलोकन से प्रार्थी को पता चला कि उसकी जमाबन्दी में जाति सोनी से बदल कर हरियाणा ब्राह्मण कर दी गई है व गौत्र भी अशुद्ध कर दी गई है। प्रार्थी को इसका पता लगते ही प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय सांगानेर के यहां उक्त त्रुटि को दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र भी लगाया लेकिन दिनांक 05.07.2022 को तहसीलदार महोदय ने अपने स्तर पर दुरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से आदेश लेकर आये तभी यह दुरस्त की जा सकती है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त इन्कारी को देखते हुए प्रार्थी अधिकारी है कि वह अपनी इस भूमि की जमाबन्दी में जाति व गौत्र उपरोक्तानुसार दुरूस्त करवाकर आराजी की खातेदारी में उक्त त्रुटि सही करवावे। प्रार्थना पत्र के वाद हेतुक दिनांक 05.07.2022 को जब अप्रार्थी ने दुरूस्ती से इन्कार किया तब उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद कानून मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति " हरियाणा ब्राह्मण " से दुरूस्त कर " सोनी " की जाए तथा गौत्र " अग्रोया " के स्थान पर " अगरोया " दुरूस्त कर अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही।

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति " हरियाणा ब्राह्मण " से दुरूस्त कर " सोनी " की जाए तथा गौत्र " अग्रोया " के स्थान पर " अगरोया " दुरूस्त कर अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाए।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की उपरोक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति " हरियाणा ब्राह्मण " से दुरूस्त कर " सोनी " की जाए तथा गौत्र " अग्रोया " के स्थान पर " अगरोया " दुरूस्त कर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:52:10 IST
Reason: SelfAttested